



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKhanlal CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2024/ 071

भोपाल, दिनांक 19/04/2024

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र./अका./2021/63-A दिनांक 07-09-2021 के द्वारा National Education Policy (NEP) Exam Regulation No. 26 के माध्यम से आरंभ किये गये 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के संबंध में उक्त रेग्युलेशन के बिन्दु Operational Details (4th Year Entry) के संबंध में सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों ने NEP आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है उन्हें 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद चौथे वर्ष में आनर्स अथवा रिसर्च विकल्प लेकर अध्ययन करना हो तो ऐसे विद्यार्थी 3 वर्षों के CGPA 7.5 अंक प्राप्त करने के उपरांत ही चतुर्थ वर्ष में अध्ययन हेतु प्रवेश ले सकेंगे।

उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को चतुर्थ वर्ष के आनर्स / रिसर्च में प्रवेश लेने हेतु अपने अपने विभागों के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा।

उक्त प्रवेश की प्रक्रिया, उपलब्ध सीटों की जानकारी आदि के संबंध में दिशा निर्देश शीघ्र जारी किये जायेंगे।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव

पृ./क्र./अका./2024/ 072

भोपाल, दिनांक 19/04/2024

प्रतिलिपि -

1. निज सहायक, कुलपति/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी वेबसाइट को सूचनार्थ।
5. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव